सं. ए-60011/16/2019-एमई/ट्रेनिंग

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
प्रशिक्षण प्रभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
दिनांक: सितंबर, 2020

अधिसूचना

यह मंत्रालय अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान (एआईआईएच एवं पीएच), कोलकाता में आशुलिपिक-ग्रेड-II के मौजूदा पद संबंधी भर्ती नियमों में संशोधन हेतु प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संदर्भ में प्रारूप भर्ती नियम तैयार किए गए हैं तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।

2. भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग और अन्य एजेंसियों के साथ भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव लेने के पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अधिसूचना की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर इस मामले पर सभी हितधारकों से टिप्पणिया, यदि कोई हो, आमंत्रित की जाती है। विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर हितधारकों से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर नियमों/आवश्यकता के अनुसार मंत्रालय द्वारा विचार किया जाएगा।

3. टिप्पणियां आधोहस्ताक्षरी को कक्ष सं. 503-ए, ए विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली 110011 में प्रस्तुत की जा सकती है और सॉफ्ट कॉपी kumar.pranav@nic.in पर भेजी जा सकती है।

कुमार प्रणव

(कुमार प्रणव)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेली: 011-23061881

[भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 2020

अधिसूचना

सा.का.नि. .... - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता (समूह 'ग')भर्ती नियम,1990 को, जहां तक उनका संबंध **आशुलिपिक ग्रेड-III** के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता में **आशुलिपिक ग्रेड-II के** पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-**(i) इन नियमों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता,**आशुलिपिक ग्रेड-II (समूह 'ग') पद** भर्ती नियम 2019 कहा जायेगा।

   (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **आवेदन :-** ये नियम इन नियमों के संलग्नक अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पद हेतु लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में लेवल –** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता –** वह व्यक्ति –

   (i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है।

   (ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्यव्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और अन्य पक्षकार को लागू स्वीय-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

<u>अनुसूची</u>

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आशुलिपिक-ग्रेड-II	05(पांच)* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित (सचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स का लेवल-4(चार) 25500 –81100/- रु.	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 45 वर्ष तक आयु तक शिथिलनीय) टिप्पणी: आयु सीमा का निर्धारण कर्मचारी द्वारा यथाविज्ञाप्ति तारीख को आधार मानकर किया जाएगा।	अनिवार्य : I. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीण्र या समकक्ष। II. कौशल परीक्षा मानदंड: डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट का, लिप्यन्तरण: 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिंदी) टिप्पणी-1: अन्यथा सुयोग्य आवेदकों के मामले में अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से शिथिलनीय है। टिप्पणी-2: यदि चयन के किसी चरण पर कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के लिए

						आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन वर्गों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी अर्हता लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	सीधे भर्ती हेतु 2 वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणी: कर्मचारी के प्रतिनियुक्ति पर जाने अथवा लम्बी रूग्णता या अध्ययन अवकाश अथवा एक वर्ष अथवा अधिक अवधि के लिए रिक्त रहने के कारण रिक्तियों को केन्द्र सरकार के ऐसे पात्र अधिकारियों से भरा जा सकेगा जो नियमित आधार पर सदृश पदधारी और कॉलम(7) में सीधे भर्ती के लिए निर्धारित अर्हताएं धारण करते है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं है	पुष्टि हेतु समूह 'ग'विभागीय प्रोन्नति समिति 1. अपर निदेशक , अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता – अध्यक्ष 2. निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता द्वारा नामितएक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता – सदस्य	आवश्यक नहीं